19-12-24 पत्रावली पेश हुई निर्णय प्रकरण से
निस्तारण जाकर मूल न्यायालय से
[illegible] [illegible] निर्णय प्रति प्रकरण के
वास्ते पालनार्थ तहसीलदार अलवर
को भिजवाई जाकर बाद तकमील के
पत्रावली बाद [illegible] दाखिल
दफ्तर होवे।

अवाप्ति अधिकारी
अलवर

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतीक जुईकर (आई0ए0एस)

मु.नं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/17	अपील	27.09.2021	19.12.2024

उनवान

1–जगदीश प्रसाद पुत्र जोहरी लाल आयु करीब 57 साल जाति अहीर निवासी राठी बास ग्राम चिकानी सब तहसील बहादरपुर तहसील अलवर जिला अलवर

अपीलांट

बनाम

1–रामभजन उर्फ भजन पुत्र जोहरी लाल आयु करीब 53 साल जाति अहीर निवासी राठी बास ग्राम चिकानी सब तहसील बहादरपुर तहसील अलवर जिला अलवर

2–ग्राम पंचायत चिकानी पंचायत समिति किशनगढबास जिला अलवर जरिये सरपंच

3–तहसीलदार साहब बहादरपुर, अलवर, जिला अलवर राज०

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 2139 दर्ज दिनॅाक 31.8.2018 स्वीकृत दिनाक 20.12.2018 वाके ग्राम चिकानी, पंचायत समिति किशनगढबास, तहसील अलवर

<u>निर्णय</u>

अपीलान्टस ने राज.भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जर्ये वकील ने निवेदन किया कि इतकाल संख्या 2139 दिनांक 31–8–2018 जो

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

दिनांक 20—12—2018 को ग्राम पंचायत चिकानी द्वारा स्वीकार किया गया है जिसकी अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से अपील श्रीमान के श्रवण योग्य है आलोच्य आदेश ग्राम पंचायत 20—12—2018 का है जिसमें गलत अंकन की जानकारी सर्व प्रथम दिनांक 10—9—2021 को हुई जिस पर अपीलांट ने नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 10—9—21 को प्राप्त हुई तदउपरांत वकील साहब से कानूनी सलाह मशवरा किया तो वकील साहब ने अपील करने की सलाह दी तो अपील हेतु खर्चे का इंतजाम कर आज अपील बिला देरी पेश की जा रही है। अवधी कन्डोन हेतु दफा 5 मयाद अधि० का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है आराजी खसरा नंबर 2187 रकबा 0.57 हैक्टर चाही तृतीय वाके ग्राम चिकानी सब तहसील बहादरपुर तहसील अलवर जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी में अपीलांट जगदीश प्रसाद पुत्र जोहरी लाल अहीर निवासी राठीबास ग्राम चिकानी सब तहसील बहादरपुर जिला अलवर का 1/3 हिस्सा है जगदीश प्रसाद ने उक्त आराजी में निहित अपने 1/3 हिस्सा में से 3/4 हिस्सा को जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 18—7—2018 जो उपहार पत्र उप पंजीयक बहादरपुर के यहां दिनांक 18—7—2018 के द्वारा रेस्पा0 सं02 रामभजन उर्फ भजन को उपहार में दिया है

उक्त आराजी पर वक्त दिये उपहार पत्र दिनांक 18—7—2018 से रेस्पाडेन्ट रामभजन उर्फ भजन काबिज काश्त है ग्राम पंचायत द्वारा सहबन से उक्त रजिस्टर्ड उपहार पत्र के नामान्तकरण संख्या 2139 दिनांक 31—8—2018 में हिस्सा 1/3 मे से 3/4 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्सा का ही अंकन कर दिया गया है तथा उक्त नामांतकरण के आधार पर ही राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2072—2074 में 1/3 हिस्से का ही अंकन हो गया है जबकि

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

नामान्तकरण में 1/3 हिस्सा में से 3/4 हिस्सा जो उपहार में अपीलान्ट ने दिया है का अंकन होना चाहिये था और इसी प्रकार राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अंकन होना चाहिये था राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी बाबत 1/3 हिस्सा में से 3/4 हिस्सा का इन्द्राज किया जाना आवश्यक है

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर विवादित इंतकाल नबर 2139 दिनांक 31–8–2018 जो दिनांक 20–12–2018 को ग्राम पंचायत चिकानी तहसील अलवर द्वारा स्वीकार किया गया है में 1/3 हिस्सा में से 3/4 हिस्सा का अंकन किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये रेस्पोडेन्ट स0 2 व 3 विधि सम्मत तामील उपरान्त भी उपस्थित नही हुये उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लेते हुये बहस सुनी गई बहस मे अपीलान्ट के द्वारा कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा सहबन से उक्त रजिस्टर्ड उपहार पत्र के नामान्तकरण संख्या 2139 दिनांक 31–8–2018 में हिस्सा 1/3 मे से 3/4 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्सा का ही अंकन कर दिया गया है तथा उक्त नामांतकरण के आधार पर ही राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2072–2074 में 1/3 हिस्से का ही अंकन हो गया है जबकि नामान्तकरण में 1/3 हिस्सा में से 3/4 हिस्सा जो उपहार में अपीलान्ट ने दिया है का अंकन होना चाहिये था और इसी प्रकार राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अंकन होना चाहिये था राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी बाबत 1/3 हिस्सा में से 3/4 हिस्सा का इन्द्राज किया जाना आवश्यक है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकुलाय को सुना गया प्रार्थना पत्र दफा 5 पर नरम रूख अपनाते हुऐ प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

तथा बहस पर मनन किया तहत पारित आलोच्य आदेश प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य प्रतीत होता है अतः अपील अपीलान्ट इस हद तक स्वीकार की जाती है। तहत पारित आलोच्य आदेश ग्राम चिकानी, तहसील अलवर की आज्ञा इंतकाल संख्या 2139 दिनॉक 20–12–2018 वाके ग्राम चिकानी ग्राम पंचायत चिकानी तहसील अलवर जिला अलवर इस हद तक अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि भू–राजस्व अधिनियम एवं अन्य राजस्व नियमों को दृष्टिगत रखते हुऐ प्रकरण मे विधिक रूप से प्रर्याप्त साक्ष्य/सबूत पेश करने का प्रर्याप्त अवसर अवसर/समय प्रदान करते हुये पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 19-12-24 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर